झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या....16.......... वर्ष 20..22..

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री मतियस नाग, पिता-श्री हाबिल नाग, ग्राम-दबगाना, मुरही, ब्लॉक-खूँटी, खूँटी।

बनाम

DISPOSED 08/02/2022.

प्रतिवादी DSO, खूँटी।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
02.02.2022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्री मतियस नाग , पिता–श्री हाबिल नाग, ग्राम–दबगाना, पो0–तारोसिलादोन, पंचायत–मुरही, ब्लॉक–खूँटी, जिला–खूँटी, दूरभाष सं0–8102443674** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमे उन्होंने राशन डीलर द्वारा माह नवम्बर–2021 का राशन नही दिये जाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की है। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA / 131 / 2021 दिनांक–28.12.2021 द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, खूँटी से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–18.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। प्रतिलिपि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय। 2/2/2022 शिकायतकर्ता Whatsapp Video call के माध्यम से उपस्थित होंगे। उन्हें सूचित कर दिया जाए। 14/2/22	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx12

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.02.2022	वादी पक्ष की ओर से श्री मतियस नाग विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रतिवादी के रूप जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी के प्रतिनिधि के रूप में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, खूँटी श्रीमती मधुमिता मिश्रा, खूँटी उपस्थित रहीं। शिकायतकर्ता श्री मतियस नाग द्वारा बयान दिया गया कि दिसम्बर तक का राशन उनको उपलब्ध करा दिया गया है। माह जनवरी और फरवरी का राशन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, खूँटी श्रीमती मधुमिता मिश्रा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अपीलकर्ता को अद्यतन उनका राशन उपलब्ध करा दिया गया है। चूँकि अपीलकर्ता और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी के रिपोर्ट में मेल नहीं है। अतः प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, खूँटी को निदेशित किया जाता है कि वे अपीलकर्ता के कथनानुसार वास्तविक स्थिति की जाँच कर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को दिनांक–25 फरवरी तक सूचित करें। रिर्पोट न प्राप्त होने की स्थिति में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–9 मार्च 2022 को निर्धारित की जाती है। 18.2.22 (शबनम परवीन) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 28/4/2022 (हलधर महतो) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
28.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। DGRO खूँटी के ज्ञापांक 97/रा० दिनांक 19.02.2022 द्वारा वर्त्तमान मामले के सुनवाई उपरांत पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। पारित आदेश में शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण DGRO द्वारा प्रतिवेदित कर दिया गया है। आयोग द्वारा भी इसके आलोक में वाद समाप्त किया जाता है। 28/04/2022	